संख्या- 17/2018/सा0-87/सात-न्याय-1-18-196/2010 टी0सी0-।।

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ- दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ एवं अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त कोर्ट मैनेजरों का कार्यकाल बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त निबन्धक (न्याय/निरीक्षण), मा0 उच्च् न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-12576/2017/अधि0-जी-।।, दिनांक 12-10-2017 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 08-12-2017 एवं दिनांक 10-1-2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ एवं अधीनस्थ न्यायालयों हेतु नियत मानदेय रू0 50,000/- प्रतिमाह पर कोर्ट मैनेजर के सृजित 75 पदों का कार्यकाल दिनांक 01-03-2017 से 28-02-2018 तक शासनादेश दिनांक 10-03-2017 द्वारा बढ़ाया गया था। उक्त कोर्ट मैनेजर के 75 पदों का नियत मानदेय रू0 50,000/- प्रतिमाह पर कार्यकाल दिनांक 01-03-2018 से दिनांक 28-02-2019 तक पूर्व में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा कोर्ट मैनेजरों द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों के लिये अन्य कोई पद मा0 उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय में न चल रही हो, जिससे की कार्य में डुप्लीकेसी हो रही हो, को भविष्य एवं वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, के अधीन बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-02-उच्च न्यायालय-00-07 उच्च न्यायालय में न्यायालय प्रबन्धक की व्यवस्था-00-07-मानदेय (मतदेय)" तथा 42-अन्य व्यय (मतदेय)" एवं लेखा शीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-00-105 सिविल एवं सेशन्स न्यायालय-12-न्यायालय प्रबन्धक की व्यवस्था-00-07-मानदेय" के नामे डाला जायेगा।"

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-12-378/दस/2018,दिनांक 10 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमत से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

ह0/- उमेश कुमार,

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-17/2018/सा0-87(I)/सात-न्याय-1-18-तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी एवं आडिट-।।) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।

3- निबन्धक (लेखा), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

4- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0।

5- कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

8- न्याय अनुभाग-9/बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/विधि परामर्शी पुस्तकालय।

9- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0/- विपिन कुमार,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in